बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (5) अपील–11/2022 ......1640 दि0 16/12/2022

आदेश

प्रस्तुत अपील ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 व नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी कुमारी संकिता जायसवाल (Emp. ID No AEN01153), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0– 1622 दिनांक– 02.07.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सूचना निर्गत किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई की निर्धारित तिथि को सूचना ई–मेल द्वारा दी गई है। प्रस्तुत अपील में निर्धारित तिथि– 07.10.2022 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा अपीलार्थी के अपील पर अपना मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील को आदेश पर रखा गया है।

अभ्यर्थी कुमारी संकिता जायसवाल का कथन है कि मैं शिविर, चण्डी–03 में कार्यरत थी। मैंने अपना कार्य विधिवत् तरीके एवं पूरे मनोयोग से किया। इसी बीच दिनांक– 05.05.2022 को निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा समीक्षात्मक बैठक मुख्यालय स्तर पर की गई थी, जिसमें शिविर कार्यालय, चण्डी–03 के सभी विशेष सर्वेक्षण अमीन के कार्यों की जाँच कुछ हीं समयावधि में करते हुए तथा मेरे द्वारा अपने कार्य को स्पष्टतः बताने पर भी संतुष्ट न होकर पत्रांक– 1079 दिनांक– 11.05.2022 को स्पष्टीकरण की माँग सहायक निदेशक द्वारा की गई। उक्त के आलोक में मैंने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। मेरे स्पष्टीकरण पर बिना–विचार किये मुझे बर्खास्त करने का आदेश पारित कर दिया गया, जो बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। मेरा आवंटित मौजा–जगतपुर, थाना नं0– 257 का किस्तवार जिसमें S.S खेसरा 1551 था, को 09 माह में किया गया, परन्तु मेरे द्वारा किस्तवार कार्य 04 माह में (दिनांक– 02.07.2021 से 07.09.2021 तक एवं दिनांक– 13.11.2021 से 15.12.2021 के बीच तक) कर लिया था। परन्तु दिनांक–08.09.2021 से 12.11.2021 तक कार्य बाधित रहा, जिसका कारण यह है कि ग्राम–जगतपुर, थाना नं0–257 में वर्षा के कारण अधिकतम क्षेत्र जल–जमाव ग्रसित रहा। राजस्व ग्राम–जगतपुर से N.H- 30 से S.H- 78 सड़क पार कर रही जिसका कोई भी ब्यौरा मेरे पास उपलब्ध नहीं कराया तथा मेरे द्वारा बार–बार अपने शिविर प्रभारी से अनुरोध करने पर यह निदेशित किया गया, किस्तवार मैप कार्य को स्थगित किया जाय। शिविर प्रभारी के निदेशानुसार मैंने किस्तवार कार्य स्थगित कर दिया। दिनांक– 12.02.2022 को शिविर प्रभारी के निदेशानुसार ग्राम– सरथा, थाना नं0– 269 के किस्तवार कार्य में सहयोग के लिए लगाया गया था। जिसमें मेरे द्वारा .1320 खेसरों का किस्तवार तथा गैरहाजिरी पंजी सहित दिनांक– 29.04.2022 को संबंधित अमीन को पूरा कर सौंप दिया। शिविर प्रभारी के निदेशानुसार दिनांक– 08.03.2022 को N.H- 30 में S.H- 78 सड़क का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने पर ग्राम– जगतपुर का मानचित्र दिनांक– 29.03.2022 को पूर्ण करके शिविर कार्यालय में जमा कर दिया गया था। मेरे द्वारा खानापुरी कार्य 01 माह के देर से प्रारंभ किया गया। जबकि खानापुरी मानचित्र दिनांक– 29.04.2022 को प्राप्त करते हीं दिनांक– 30.04.2022 को खानापुरी प्रारंभ कर दी थी। दिनांक– 04.07.2022 को पत्राचार के माध्यम से आरोप लगाया गया कि कई बार चेतावनी देने पर भी लापरवाही बरती गयी, जिसमें मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि विभागीय स्तर पर शिविर प्रभारी एवं मुख्यालय द्वारा कोई भी चेतावनी या स्पष्टीकरण की मांग नहीं की गई। हमारे कार्य की जाँच शिविर स्तर पर किये बगैर तथा मुख्यालय एवं शिविर प्रभारी का मंतव्य लिए बगैर हमें निष्कासित कर दिया गया।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना ने अपने मंतव्य में उल्लेख किया है कि दिनांक– 05.05.2022 को बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा में की गई विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षोपरान्त कुमारी संकिता जायसवाल द्वारा मौजा–जगतपुर, थाना नं0–257 का किस्तवार कार्य 09 माह की लंबी अवधि में पूर्ण किया गया है। साथ हीं किस्तवार पूर्ण होने के पश्चात् खानापुरी कार्य 01 माह से लंबित है। कुमारी संकिता जायसवाल द्वारा समीक्षात्मक बैठक में इस कृत्य के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया। निदेशालय पत्रांक– 1079 दिनांक– 11.05.2022 के द्वारा कुमारी संकिता जायसवाल को कार्य में शिथिलता बरतने एवं अभिरूचि नहीं लेने के कारण तीन दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश ई–मेल द्वारा दिया गया। कुमारी संकिता जायसवाल द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर नोडल पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गई। प्राप्त मंतव्य पर अधोहस्ताक्षरी के समीक्षा में पाया गया कि कुमारी संकिता जायसवाल द्वारा मौजा–जगतपुर का किस्तवार कार्य 09 माह की लंबी अवधि में पूर्ण किया गया है तथा खानापुरी अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कुमारी संकिता जायसवाल द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्यों में रूचि नहीं ली जा रही है एवं इनके द्वारा इतने महत्त्वपूर्ण कार्यों में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। निदेशालय द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण में कुमारी संकिता जायसवाल ने कोई ठोस कारण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण इनका संविदा रद्द किया गया है।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के मंतव्य, अपीलार्थी के कथन एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुमारी संकिता जायसवाल (Emp. ID No.- AEN01153), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन का कथन एवं दाखिल साक्ष्य सत्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुमारी संकिता जायसवाल को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों में रूचि नहीं लेने तथा इनके कृत्य से भू–सर्वेक्षण कार्य एवं अन्य कर्मियों पर इसके कुप्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा कुमारी संकिता जायसवाल को संविदा अनुबंध रद्द की गई है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

कुमारी संकिता जायसवाल (Emp. ID No.- AEN01153), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–11/2022 4640 **पटना, दिनांक :**– 16/12/2022

प्रतिलिपिः– कुमारी संकिता जायसवाल (Emp. ID No.- AEN01153), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, चंडी शिविर संख्या–3, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा, Email- sankitacivilengg@gmail.com, अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/22

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–11/2022 4640 **पटना, दिनांक :**– 16/12/2022

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/22

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2022\Bimlesh Mishra\Order\File no.-11_2022_23.11.2022_order.docx

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–11 / 2022 4640 पटना, दिनांक :– 16/12/2022

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/22

सहायक निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–11 / 2022 4640 पटना, दिनांक :– 16/12/2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/12/22

सहायक निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप